श्री अभय कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक–27.06.2014 को मधुबन प्रखण्ड, अंचल, बाल विकास परियोजना एवं मनरेगा कार्यालयों का औचक निरीक्षण टिप्पणी ।

दिनांक–27.06.2014 को 12:50 बजे अपराह्न मधुबन प्रखंड, अंचल एवं बाल विकास परियोजना कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टिप्पणी निम्नवत् है :–

A. प्रखंड कार्यालय

1. **उपस्थिति पंजी**

उपस्थिति पंजी की जॉच के क्रम में ग्रामीण आवास सहायक कुमारी सुमन बाला सिंह निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाई गई। इसके पूर्व वे दिनांक–21.06.2014, 23.06.14, 24.06.14 एवं 26.06.14 को बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थी। पृच्छा करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में उक्त ग्रामीण आवास सहायक से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है।

श्रीमती सुमन बाला सिंह, ग्रामीण आवास सहायक की अनुपस्थिति अवधि के वेतन की कटौती प्रखण्ड विकास पदाधिकारी करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)

2. **माननीय उच्च न्यायालय संबंधी वाद**

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बताया गया कि इस प्रखंड में कुल–08 वाद प्राप्त हुए, जिसके विरूद्ध 02 वाद, कमशः सी.डब्लू.जे.सी. संख्या–18016/08 बिन्दा प्रसाद एवं सी.डब्लू.जे.सी. संख्या–19823–अभिज्ञात कुमार का निष्पादन हो गया है। 06 वाद लम्बित है। कुल 06 लम्बित वादों के विरूद्ध 01 में Oath हो गया है, 03 वाद शिक्षक नियोजन से संबंधित है, जिसे पंचायत सचिव को भेजा गया है एवं 01 वाद (सी.डब्लू.जे.सी. संख्या–3183 तारा बेगम) अन्तिम रूप से अनुपालन की स्थिति में है। पृच्छा करने पर बताया गया कि इस प्रखण्ड में ***एम.जे.सी.*** का कोई वाद लम्बित नहीं है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित सभी लम्बित वादों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन जिला विधि शाखा को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही, सिर्फ पंचायत सेवक को तथ्य विवरणी बनाने के लिए देकर, शिथिल न होकर, सतत् **निगरानी रखेंगे।**

(अनुपालन–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)

3. <u>लोक सूचनाओं का अधिकार अधिनियम</u>

लोक सूचनाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :–

क्रम	लोक सेवाओं का नाम	संबंधित कार्यालय का नाम	समय–सीमा के अन्तर्गत लंबित	समय–सीमा के पश्चात् लम्बित
1.	निवास प्रमाण–पत्र	अंचल कार्यालय	202	0
2.	जाति प्रमाण–पत्र	अंचल कार्यालय	100	0
3.	आय प्रमाण–पत्र	अंचल कार्यालय	52	0
4.	दाखिल–खारीज	अंचल कार्यालय	159	06
5.	भू–स्वामित्व	अंचल कार्यालय	16	0
2.	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	प्रखंड कार्यालय	57	0
3.	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	प्रखंड कार्यालय	13	03
4.	पेंशन योजना	प्रखंड कार्यालय	65	250

अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी लंबित मामलों का निष्पादन अविलम्ब करते हुए अनुपालन संसूचित करेंगे। संबंधित अपीलीय प्राधिकार Suo-Moto अपील दायर कर, बिलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए अनुपालन संसूचित करेंगे।
<u>(अनुपालन–अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी)</u>

4. <u>जन शिकायत</u>

जन शिकायत पंजी का अवलोकन किया गया। स्थिति निम्नवत पाई गई :–

कमांक	कहाँ से प्राप्त हुआ	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	निष्पादित	लम्बित
1.	मुख्यमन्त्री जनता दरबार	06	0	06 **(वर्ष–2012 से)**
2.	मुख्य सचिव/विभागीय सचिव	03	0	03
3.	जिला जनता दरबार	16	02	14 **(वर्ष–2012 से)**
4.	प्रखण्ड जनता दरबार	36	0	36

प्रखण्ड जनता दरबार में प्राप्त आवेदन–पत्रों की प्रविष्टि पंजी में दिनांक–18.06.2014 से की गई है। इस प्रखण्ड में मुख्य मन्त्री जनता दरबार एवं जिला जनता दरबार से प्राप्त आवेदन–पत्रों को वर्ष–2012 से लम्बित है, जो काफी गम्भीर एवं निन्दनीय है। कार्यवाहक प्रधान लिपिक, श्री मोती राम द्वारा ससमय जन शिकायतों के निष्पादन हेतु अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री राम, प्रधान लिपिक को भविष्य के लिए सतर्क करते हुए इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपना मंतव्य संसूचित करेंगे।

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

5. रोकड़ बही

इस प्रखंड में रोकड़ बही दिनांक–01.06.2014 तक अद्यतन है। पृच्छा करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक–26.06.2014 को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किया गया।

प्रखंड विकास पदाधिकारी यह प्रतिवेदित करेंगे कि **दिनांक–01.06.2014 से दिनांक–26.06.2014 के बीच कोई लेन–देन हुआ है अथवा नहीं हुआ है।**

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

6. इन्दिरा आवास

इन्दिरा आवास विशेष शिविर में अद्यतन उपलब्धि की समीक्षा के क्रम में पंचायतवार स्थिति निम्नवत् पाई गई :–

क्र0	पंचायत का नाम	वर्ष 2013–14 का कुल लक्ष्य	कुल वितरित लक्ष्य	अवशेष लक्ष्य	दिनांक–27.06.14 की विशेष शिविरत में प्राप्त उपलब्धि
1	दुलमा	143	55	88	0
2	भेलवा	82	63	19	07
3	रूपनी	122	113	9	08
4	नौरंगिया माधोपुर	90	64	26	0
5	मधुबन उत्तरी	93	90	03	02
6	मधुबन दक्षिणी	58	54	04	02
7	तालिमपुर	121	106	15	05
8	वाजितपुर	87	48	39	04
9	कोईलहरा	72	59	13	0
10	गड़हिया	105	104	01	0
11	कृष्णानगर	67	54	13	0
12	कौड़िया	107	70	37	0
13	सवंगिया	85	52	33	13
	कुल योगः–	1232	932	300	41

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत म्0 मुस्ताक, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–मेन्टर पदाधिकारी को लक्ष्य की जानकारी नहीं है। स्पष्ट है कि मेन्टर पदाधिकारी की हैसियत से उनके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिविर पूर्व समीक्षा नहीं की गई। फलस्वरूप इन्दिरा आवास विशेष शिविर में बहुत कम उपलब्धि की प्राप्ति हुई। यह स्थिति काफी खेदजनक एवं निन्दनीय है।

इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रगति होने तक मेन्टर पदाधिकारी का मुख्यालय मधुबन प्रखंड ही

रहेगा। मेन्टर पदाधिकारी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तैयारी का दैनिक प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रखंड विकास पदाधिकारी असंतोषजनक प्रगति के लिए अपना स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे तथा शून्य उपलब्धि वाले पंचायतों के पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपना मंतव्य संसूचित करेंगे। यह भी सुनिश्चित करें कि **शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो जाय।** संबंधित पंचायत सचिव से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाय कि **उनके पंचायत में इन्दिरा आवास हेतु किसी विशेष श्रेणी (अनु. जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक) में कोई योग्य लाभार्थी शेष नहीं हैं।**

(अनुपालन–जिला गोपनीय शाखा/प्रखंड विकास पदाधिकारी)

B. अंचल कार्यालय

1. माननीय उच्च न्यायालय संबंधी वाद

इस कार्यालय में माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित वादों की पंजी संधारित है। इस पंजी का अवलोकन किया गया। इस अंचल में कुल–05 वाद प्राप्त हुए, जिसके विरूद्ध निरीक्षण के समय 02 वादों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारीज किए जाने की सूचना दी गई। 01 वाद तेतरिया अंचल से संबंधित होने के कारण हस्तान्तरित किया जाना बताया गया ।

शेष 01 वाद में अविलम्ब अंचल अधिकारी तथ्य विवरणी दाखिल करेंगे तथा 01 वाद में श्री विद्यानन्दन राम पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के स्तर पर कार्रवाई होनी है। **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता इसे सुनिश्चित करेंगे।**

(अनुपालन–अंचलाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता)

2. रोकड़ बही

रोकड़ बही का अवलोकन किया गया। रोकड़ बही दिनांक–20.05.2014 तक लिखा हुआ पाया गया। उसके बाद रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि नहीं पायी गई। इसका कारण पूछने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सी.डब्लू.जे.सी. के निष्पादन के कारण इसमें बिलम्ब हुआ। रोकड़ बही में दिनांक–31.03.2014 को बैंकवार राशि की विवरणी एवं बैंक खाता का अद्यतन लेखा विवरणी अंकित नहीं है।

अंचल अधिकारी एवं अंचल नाजीर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देंगे एवं दिनांक–30.06.2014 तक रोकड़ बही अद्यतन कराना सुनिश्चित करेंगे। बैंक Reconciliation कराने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन–अंचल अधिकारी/अंचल नाजीर)

C. बाल विकास परियोजना कार्यालय

1. उपस्थिति पंजी

औचक निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि श्रीमती सरिता कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका द्वारा जनवरी, 2014 से निरीक्षण की तिथि तक उपस्थिति नहीं बनाई गई है तथा उनके नाम के सामने क्रॉस किया हुआ पाया गया। बताया गया कि ये मातृत्व अवकाश में हैं, जिसकी जानकारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 को नहीं है। श्री राजन कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की उपस्थिति जनवरी, 2014 से निरीक्षण की तिथि तक दर्ज नहीं की गई है। जून माह के 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख को उनकी उपस्थिति क्रॉस किया हुआ पाया गया।

स्पष्ट है कि उपर्युक्त दोनों कर्मी लम्बे अर्से से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। अतः अनुपस्थित अवधि के उनके वेतन की कटौती करने का निदेश दिया जाता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / बाल विकास परियोजना पदा0)

D. मनरेगा कार्यालय

1. उपस्थिति पंजी

उपस्थिति पंजी की जॉच के क्रम में पाया गया कि श्री सौरभ कुमार, कनीय अभियंता दिनांक–25.06.2014 से 27.06.2014 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। इसी तरह श्री राजीव रंजन सिन्हा, पंचायत तकनीकी सहायक के नाम के सामने दिनांक–24.06.2014 से 27.06.2014 तक CL दर्शाया गया है, परन्तु आकस्मिक अवकाश से संबंधित आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि ये बिना किसी सूचना एवं पूर्वानुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं और निरीक्षण के दिन कार्रवाई से वंचित होने के लिए उपस्थिति पंजी में CL दर्शाया गया है।

अतः उक्त दोनों कर्मियों के वेतन की कटौती करने का निदेश दिया जाता है। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मधुबन इसे सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त / कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा)

2. योजना

निरीक्षण के समय मांग करने पर कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा द्वारा प्रखंडवार लंबित योजनाओं की सूची उपस्थापित नहीं की गई, जिससे योजनाओं की समीक्षा नहीं हो पाई। इससे स्पष्ट है कि कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है और निरीक्षी पदाधिकारी के समक्ष किसी प्रकार का अभिलेख उपस्थापित नहीं करना संदेहास्पद है।

कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा के एक सप्ताह के वेतन की कटौती का निदेश दिया जाता है। उप विकास आयुक्त इनके कार्यों का मूल्यांकन कर प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त / डी0आर0डी0ए0)

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 1295 / गो0
समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, दिनांक 01 वीं जुलाई 2014

प्रतिलिपि — प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मधुबन, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — कोषागार पदाधिकारी / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि — अनुमण्डल पदाधिकारी / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि — अपर समाहर्त्ता / उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक.......1295....../गो0

समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, दिनांक 01 वीं जुलाई 2014

प्रतिलिपि आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।